केन्द्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में माननीय अध्यक्ष का संबोधन

मैं सबसे पहले केन्द्रीय सूचना आयोग को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, जो हर वर्ष अपने इस वार्षिक अधिवेशन में संवाद करते हैं कि किस तरीके से हम सूचना आयोग को और पारदर्शी बनाएं, जवाबदेह बनाएं, ताकि देश के हर नागरिक को, मजबूत कर सकें। शासन और प्रशासन में पारदर्शिता ला सकें, जवाबदेही ला सकें, इसके लिए आप लगातार चर्चा और संवाद करते रहते हैं। किस तरीके से इस अधिनियम को प्रभावी क्रियान्वयन के साथ, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जो सूचना मांग रहा है, उसको ठीक समय पर सूचना उपलब्ध हो जाए। इसीलिए इस कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, इसका प्रभावी क्रियान्वयन करने के बारे में आज 3 विषयों पर आप व्यापक चर्चा करेंगे।

साथियो, 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने देश में सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन कर के देश को एक सशक्त राष्ट्र बनाया है। कानून का शासन हो, शासन और प्रशासन की जवाबदेही हो, शासन में पारदर्शिता आए, इसके लिए समय-समय पर जब-जब आवश्यकताएं महसूस हुई, उस समय भारत की संसद ने कानून बनाए, राज्यों की विधान सभाओं ने कानून बनाए।

सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल लक्ष्य था - देश के नागरिकों को सशक्त बनाना, कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाना, जवाबदेही तय करना, भ्रष्टाचार को रोकना और लोकतंत्र सही मायने में जनता के हाथों में हो। इसके

लिए आज भी यह कानून प्रभावी है। इसीलिए इस कानून के आने के बाद आपने 14वें अधिवेशन तक व्यापक चर्चा की, संवाद किया।

आज आप डिजीटल युग में ई-गर्वनेंस के माध्यम से सूचना त्वरित गति से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी देश के किसी गांव, ढाणी से इस डिजीटल युग में अपनी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। आपने मोबाइल एप्लिकेशन, वेबसाइट आदि कई माध्यमों का उपयोग करके इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए लगातार चर्चा और संवाद किया है। आज भी देश भर से आप लोग यहां पर आए हुए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है, संकल्प है कि अगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना पड़ेगा। उसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रभावी तरीके से उपयोग करें।

भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए लोकतंत्र में हर व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी हो, जन भागीदारी हो। सरकार का जो धन है, उसका ठीक से उपयोग हो, उसका अपव्यय न हो, इसके लिए शासन ने कई तरीके की नियम-प्रक्रिया बनाई है। शिकायत पोर्टल राज्यों में भी है, केन्द्र में भी है। कई राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में ग्रीवांसेज सेल बना रखे हैं। केन्द्र में भी ग्रीवांसेज सेल बना हुआ है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि शासन में विश्वास होना चाहिए।

ग्रीवांसेज ज्यादा आएं तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ग्रीवांसेज ज्यादा आती हैं, इसका मतलब कि जनता की सक्रिय भागीदारी है और शासन के प्रति लोगों का विश्वास है कि मैने जो ग्रीवांसेज दी है, वह सरकार तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से मुझे न्याय मिलेगा। इसलिए जब सरकार नीतियां, योजनाएं बनाती है तो उसका एगजीक्यूशन करते समय जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस प्रशासनिक व्यवस्था के अन्दर तब जवाबदेही आएगी, जब नीचे तक के व्यक्ति को उन नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी होगी।

जिसके लिए योजनाएं बनीं, उन्हें योजनाओं का लाभ मिले। समाज के कल्याण की योजनाएं अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचे, जिससे उसके जीवन में परिवर्तन हो। सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था के लिए आज डिजिटल पेमेन्ट की एक नई व्यवस्था शुरू की है।

आपने देखा होगा कि इस शासन ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा में बड़े स्तर पर कार्य योजना बनाई गई है। देश के हर गांव के अन्दर डिजिटल नेटवर्क पहुंचे, उसके लिए व्यापक रूप से काम हुआ है। ऑनलाइन सिस्टम बेहतर हो, इसके लिए काम हुआ है।

सभी योजनाओं का पेमेन्ट, डिजिटल पेमेन्ट के माध्यम से हो रहा है। करोड़ों रुपये के धन का जो अपव्यय होता था, उसे रोक कर उसको एक पारदर्शी व्यवस्था में शामिल करने का काम शासन ने किया है।

आप सभी लोग यहां अनुभवी हैं। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि कानून बनाते समय सरकार की या लोकतंत्र की हमेशा यह व्यवस्था रहती है कि कानून प्रभावी हो और जिसके लिए कानून बना है, वह ठीक से उसका उपयोग करें।

आर.टी.आई. का कानून लाने के समय एक लम्बा आंदोलन किया गया था। देश के अन्दर पंचायतों से लेकर नीचे-ऊपर तक जब भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, लोगों को नीतियों का लाभ नहीं मिलने लगा, जो निर्माण कार्य होते थे, उनकी गुणवत्ता बेहतर नहीं थी, जिस काम के लिए पैसा भेजा जाता था, उसका उपयोग ठीक से नहीं होता था, तो एक लम्बे संघर्ष के बाद यह कानून बना।

कानून बनाते समय यह सोच थी कि गांव की पंचायत में बैठा व्यक्ति भी, उसके गांव में जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी गुणवत्ता और जो धन आया है, उसकी जानकारी उसको मिल सके। एक जन भागीदारी, हो, ताकि हम नीचे तक के शासन और प्रशासन में पारदर्शिता ला सकें। लेकिन, अभी भी आपके प्रयास और आपके कई अधिवेशन के बाद भी हम अन्तिम पड़ाव तक नहीं पहुंचे हैं।

आज हमें यह भी देखना चाहिए कि आर.टी.आई. कानून का दुरुपयोग न हो। जब आपके पास आर.टी.आई. आती है, तो आप देखते हैं कि आर.टी.आई. लगाने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी मंशा क्या है।

अगर आप उसका सही से अनुभव कर लेंगे, जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो जो वास्तविकता में शासन-प्रशासन में पारदर्शिता चाहता है, उस आर.टी.आई. को पढ़ने से प्रथम-दृष्टया ही अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं इसमें करप्शन या इसकी जवाबदेही के अन्दर लापरवाही बरती गयी है तो आप खुद भी जांच के आदेश दे सकते हैं, ऐसे आर.टी.आई. का जवाब तुरन्त देकर प्रशासन में पारदर्शिता ला सकते हैं। इसलिए आर.टी.आई. कानून जिस लक्ष्य के लिए बना था, शासन-प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही के लिए बना था, उसका ठीक से उपयोग हो, तब हम एक भ्रष्टाचार-मुक्त सिस्टम को खड़ा कर सकते हैं।

सरकार और देश की आम जनता दोनों की यह मंशा है, देश की आम जनता का बहुत विश्वास, भरोसा आप सब पर है कि आप उसको न्याय दिलाएंगे और समाज का अंतिम व्यक्ति भी, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसको भी न्याय दिलाने का सबसे बड़ा माध्यम आपके पास है।

इसलिए मुझे आशा है कि इस दो दिनों के मंथन में आप एक बेहतर तरीके की चर्चा करने के बाद एक पारदर्शी व्यवस्था खड़ा करने में सरकार का सहयोग करेंगे। यह बेहतर तरीके से कैसे हो सकता है, आप उस पर चर्चा करेंगे, ताकि हम आर.टी.आई. कानून को प्रभावी बना सकें, क्योंकि कई बार आर.टी.आई. लगाने के पीछे की मंशाओं को अध्ययन करने की आवश्यकता है।

अगर उन मंशाओं का हम अध्ययन करने लगें तो आर.टी.आई. लगाने वाले व्यक्ति की मंशा को जानकर ही हम बेहतर पारदर्शिता ला सकते हैं।

हमारा शासन, जनता का शासन लाने का जो सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संजोया था, उन सपनों को पूरा करने का वक्त आ चुका है। लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा के अन्दर शासन-प्रशासन में जवाबदेही, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के लिए आपके सहयोग की बहुत आशा है।

मुझे विश्वास है कि आप आर.टी.आई. अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जो दो दिनों तक चर्चा करेंगे, उसमें प्रभावी गतिशीलता लाने के लिए चर्चा करेंगे, अधिकतम जन भागीदारी बढ़ाने का आपका प्रयास होगा। जितनी जन भागीदारी बढ़ेगी, लोकतंत्र उतना ही सशक्त होगा। अगर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है, तो लोकतंत्र में जन भागीदारी अधिकतम बढ़े, हर व्यक्ति सजग रहे, जो योजनाएं, नीतियां बनाई गई हैं, उनका लाभ उन्हें मिले।

लोकतंत्र की इस 75 वर्ष की यात्रा में हमने समाज में आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन किए हैं, आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण वर्ष हैं, जब हम एक पारदर्शी, जवाबदेह व्यवस्था को खड़ा करने के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, एक गुड गवर्नेंस की व्यवस्था कर पाएंगे।

हमारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं का लाभ जिन तक पहुंचाने की सरकार की मंशा है, उन तक उन योजनाओं का लाभ अगर ठीक से पहुंच गया तो हम आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन करते हुए एक विकसित भारत का सपना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को पूरा कर पाएंगे।